International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

भारतीय इतिहास में नारी की सामाजिक स्थिति और डॉ अम्बेडकर का योगदान

उमेश कुमार

प्राध्यापक इतिहास

रा0 व0 मा0 विद्यालय जसराणा (सोनीपत)

भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि नारी ने अनेक क्षेत्रों में गौरवमयी कीर्ति अर्जित की थी । नारी को देवीय शक्ति के रूप में स्थान मिला था । उसकी सर्वत्र पूजा होती थी । पूजा से तात्पर्य उसकी मान–मर्यादा और उनके अधिकारों की रक्षा से है । उन्हें गृहलक्ष्मी और गृहदेवी के नाम से भी संबोधित किया जाता था । गृहस्थी काा कोई भी कार्य उनकी सहमति के बिना नहीं किसा जाता था । जीवन के अनेक अवसरों पर वे पुरूष से आगे रहती थीं । धार्मिक कृत्य भी उनके अभाव में अपूर्ण माने जाते थे ।धार्मिक, सामाजिक और रणक्षेत्र में अपने पति का सहयोग देना उनका कर्तव्य माना जाता था ।

भारतीय इतिहास में नारी का सामाजिक उत्तरदायित्व इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी भारत के हिन्दू समाज व्यवस्था में नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय रही है । धर्म के नाम पर नारी के प्रताडन की जो व्यवस्थाएं दी गई और धर्म के ठेकेदारों ने नारी के तन का पैशाची दोहन किया, उसका अनुकरण हिन्दू समाज ने व्यवहार में खुलकर और निरंकुश होकर किया । सामान्यतः यह कहा जाता है कि भारतीय समाज में नारी की समाजिक स्थिति सम्मानपूर्वक रही । उसे शक्ति के साकार रूप में माना गया और नारी की लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में पूजा–अर्चना की जाती रही । नारी को पुरूष का सहयोगी अथवा अर्द्धांगिनी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया । कालान्तर में कहा जाता है कि यह सामाजिक स्थिति बदलती गई और पुरूष इनके मान–सम्मान तथा अधिकारों को छीनता गया । फलतः उनकी स्थिति में गिरावट और अवनति आती गई ।

यह माना जाता है कि समय चक्र परिवर्तनशील है । संसार की हर गतिविधियॉ भी परिवर्तनशील होती हैं । समय के साथ–साथ व्यवस्था में भी परिवर्तन आया । नारी का प्रेम और सर्वस्व समर्पण की भावना कालान्तर में उल्टा उन्हीं के लिए विष बन गया । समाज की घृणित विचारधारा ने उन्हें पुरूषों के बराबरी के पद से हटा दिया और समाज में नारी का स्थान गौण हो गया । उनको पर्दे के पीछे रहने के लिए विवश कर दिया गया । उनका शिक्षा

का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया उनके सामाजिक जीवन का क्षेत्र सीमित कर दिया गया और उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया ।

ठससे स्पष्ट होता है कि भारतीय नारी को पूर्ण रूप से गुलाम कर उनकी स्वतंत्रता का हनन किया और उनके सारे अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया । नारी वर्ग के लिए सर्वाधिक प्रतिकूल स्थिति उस समय थी जब मनुस्मृति को सामाजिक एवं विधिक मान्यता मिली । इसलिए डॉ अम्बेडकर को भी मनुसमृति को न केवल नारी वर्ग की अवनति का साधक बतलाया अपितु उसे समस्त हिन्दू भारतीय समाज के पतन का कारण माना क्योंकि मनुस्मृति में पारी के बारे में लिखा गया है, ' नारी की रक्षा उसके बचपन मे उसका पिता करता है, युवावस्था में उसका पति दिवंगत हो जाता है तब उसके पुत्र उसकी रक्षा करते हैं ।' अर्थात् नारी कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नही है ।

नारी की सामाजिक स्थिति कल और आज

क्ल की नारी की सामाजिक स्थिति में चर्चा करते समय यह सच्चाई सामने आती है कि भारत के हिन्दू समाज में नारी की सामाजिक स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है । नारी वैदिक कालीन समाज में ही भोग्या और दासी बन चुकी थी । वैदिक काल में आर्य–अनार्य के बीच जो संघर्ष होता रहता था, उसमें पुरूष मारे जाते थे और नारियॉ बलात्कार की शिकार होती थीं, सामग्री की भॉति बेची जाती थी, दासी के रूप में दान में दी जाती थी । वैदिक काल में इस प्रकार की नारी की सामाजिक स्थिति थी । वैदिक काल से ही समाज मे नारी मर्यादा का स्तर निरन्तर गिरता गया । नारी को इसी काल में ही नर्तकी और वैश्या बना दिया गया । इन वैश्याओं को गणिका और अप्सरा कहा जाता था । गणिका नारी को वस्त्रहीन कर नचाए जाने का वर्णन वेदों में अनेक स्थानों पर आया है । वैदिक काल में नारी को नंगा नचाया जाता था, यह नारी की अधोगति का निम्न स्तर था । वैदिक काल के बाद समाज में नारी की मर्यादा का स्तर और भी गिरता चला गया । रामायण, महाभारत के काल में नारी पुरूष की छाया बन गई । सीता राम की छाया बनी, महाभारत में धृतराष्ट की पत्नी गांधारी ऑखों पर पट्टी बॉधकर पति की अनुगामिनी बनी और विद्रोह करने पर भी द्रोपदी जुऐ के दाव पर लगा दी गई । यह कहा जाता है कि मध्यकाल में नारी की दशा अति अधोगति को प्राप्त हो गई । इस काल में विदेशी आक्रमण होने लगे । ईसा पूर्व 386 में पंजाब पर सिकन्दर ने और ईसा पूर्व 180 में दैमित्रिया ने अपने जमाता मिनान्दर के साथ आक्रमण किया । पुरूषों का कत्लेआम किया गया । जो हिन्दू नारियॉ बची, वे छकडों मे भरकर विदेशों में ले जाई गई और अरब के चौराहों पर आनों में बेच दी गई अर्थात् मध्यकाल में भी नारी स्वतंत्र नहीं थी और उसे सिर्फ गुलामी का ही सामना करना पडा और आक्रमणकारियों की शिकार होना पडा । मुगलकाल में भी दासियों का व्यापार विदेशों के साथ होता था । इंग्लैंड और

पुर्तगाल से भारत का यह व्यापार चलता था । नारी रक्षा के लिए बादशाहों द्वारा महलों में जनखाओं का प्रबंध किया जाता था । 300 वर्ष तकमुस्लिम शासन में नारी विलासिता की सामग्री बनी रही । इस प्रकार नारी को उनके सभी अधिकारों से दूर कर दिया गया और उनको सिर्फ भोग वस्तु माना गया ।

जतिवाद की चातुर्यपूर्ण व्यवस्था ने भारतीय नारी को और भी ज्यादा गलाम बना दिया गया । इस व्यवस्था ने किसी एक धर्म की नारी के लिए नियम नहीं बनाये बल्कि समूची नारी की गुलामी के लिए नियम बनाया । जिसमें सभी धर्मों की नारी को वे पुरूषों से अलग रखना चाहते थे ।

ज्ब मनुस्मृति का निर्माण हुआ तब मनुस्मृति ने फिर एक बार भारतीय नारी को गुलामी में बंद कर दिया । कहा जाता है कि मनु शूद्रों के प्रति जितना क्रूर था, उतना ही नारी नियम के प्रति क्रूर था । मनुस्मृति में जितने भी नारी के लिए नियम बनाए हैं वे सभी के सभी नियम नारी के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं और उसे गुलाम बनाते हैं अर्थात् मनुस्मृति ने नारी की स्वतंत्रता को छीन लिया । उसे सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया और विधवा नारी को जीवन में सती प्रथा, दहेज प्रथा, मंदिरों में विधवाओं का नारकीय जीवन,बाल विवाह जैसी क्रूर प्रथा का शिकार होना पडा । नारी सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित होकर अपना जीवन काटती रही । सभी धर्मों ने नारी को पापी–नरक द्वार करार दिया था । संत कवयित्रियों तक ने स्वयं की दासता की व्यक्त की है । नारी का मुक्ति मार्ग, न केवल नारी शेष से, नारी निंदा से तैयार हुआ है । स्वातंत्रय पूर्व काल में अत्युच्च पद पर बैठने वाली रजियाा सुल्तान एकमात्र नारी दिखाई देती है । रानी लक्ष्मीबाई ,चांदबीबी, ताराबाई, अहिल्याबाई आदि सत्ता पर थी । लेकिन उसके बाद पुरूष प्रधान संस्कृति में नारी की असाधारणता को नकारकर उसे दासता की बेडियों में जकडने के ही प्रयास होते आ रहे हैं । 19वीं सदी में नारी सुधारकी जरूरत महसूस होने लगी । भारत के इतिहास में मोहम्मद तुगलक ने नारी अधिकार की पहली सनद बहाल की । तुगलक ने सख्ती से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई इतना ही नहीं सती होने से पहले सरकारी अनुमति लेने की शर्त जारी की । लेकिन तत्कालीन मौलवी पंडितों ने तुगलक को पागल करार देकर उसकी योजना को असफल बनाया । इससे यहीं स्पष्ट होता है कि भारतीय नारी को वे सदा के लिए गुलाम ही रखना चाहते थे ।

लेकिन समय बदलता गया और नारी उत्थान के लिए कुछ महापुरूषों द्वारा प्रयास किया गया । जिसमें राजा राममोहन राय जैसे लोगों ने सती प्रथा के विरोध मे आंदोलन किया । नारी के उत्थान में महात्मा ज्योतिबाफुले का विशेष सहभाग रहा है । उन्होंने नारी समानता और शूद्र– अतिशूद्र संघर्ष को अपने आंदोलन में प्रथम स्थान दिया था । उन्होंने

निजि तौर पर जो प्रयास किए उसमें भी नारी का विचार प्रथम था । उन्होंने नारी के लिए केवल ज्ञान के दरवाजे नहीं खुले किए अपितु बाल विवाह, प्रौढ विवाह, विधवा विवाह, पतिता–परित्यक्ताओं के जटिल नाजुक प्रश्न, बाल हत्या, प्रतिबंधक गृह इन सभी क्षेत्रों में अगुवा बनकर प्रत्यक्ष कार्य किया । उनके लिए संस्थाएं खोली । आधुनिक विचारों का प्रसार एवं प्रचार किया । महात्मा फुले केवल बाल विवाह के विरूद्ध प्रचार कार्य करके रूके नहीं बल्कि बालिग लडकी की सम्मति से विवाह तय हो' ऐसे सम्मति विवाह' का विचार प्रचलित करने का उन्होंने प्रयास किया । महात्मा फुले के बाद भारतीय नारी के सामाजिक उत्थान के लिए सबसे ज्यादा प्रयास डॉ अम्बेडकर ने किया । जब डॉ अम्बेडकर जुलाई 1913 में न्यूयार्क पहुँचे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया । तब वहॉ का वातावरण उदार और समानता पर आधारित देखकर वे प्रभावित हुए । वहॉ नारी को भी पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे । अर्थव्यवस्था में नारी को सीधा योगदान था । हर क्षेत्र में वे पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ रही थी । डॉ. अम्बेडकर के लिए यह एक नया ही संसार था । नारी के सशक्तिकरण से वे बहुत प्रभावित हुए और पहला सपना उन्होंने यही देखा कि भारत लौटकर यहॉ की नारी को भी वे इसी तरह सशक्त बनाने को प्रयास करेंगे । जब डॉ. अम्बेडकर ने भारत में आकर अपना संघर्ष शुरू किया तब भारत की नारी के उत्थान में डॉ. अम्बेडकर का योगदान विशेष सराहनीय रहा है । जिसके चलते आज भारत की नारी पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही है । भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसमें भारत की नारी ने अपना स्थान निश्चित नहीं किया हो । सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो आज भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति में बहुत बडा बदलाव आया है । जिसके चलते सदियों से गुलाम नारी आज सरकारी नौकरी भारतीय संसद में सांसद,विभिन्न विधानसभाओं में विधायक, नगर निगमों में सदस्य, ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान, की भूमिका निभा रही हैं । इतना ही नहीं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की भी भूमिका भारतीय नारी ने निभाई है । और आज वर्तमान में भी निभा रही है । यह सब डॉ. अम्बेडकर के संघर्षों की वजह से ।

भारतीय नारी के उत्थान में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका

डॉ. अम्बेडकर'आत्मोभार' को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे । उन्होंने भारतीय नारी के उत्थान में अपने शिक्षा काल से ही प्रयास किया । 4 अगस्त 1913 में न्यूयार्क से अपने एक मित्र को लिखे पत्र में डॉ. अम्बेडकर लिखते हैं 'यह सोचना गलत है कि माता–पिता बच्चे को केवल जन्म देते हैं, भविष्य नहीं । माता–पिता अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं । यदि हम इस सिद्धान्त पर चल पडे तो अति शीघ्र वह शुभ दिन देख सकते हैं । लडकों के साथ–साथ लडकियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान देकर हम शीघ्र प्रगति कर सकते हैं । आप अपनी पुत्री को शिक्षा देकर इसका लाभदायक परिणाम स्वयं देख सकते हैं ।' डॉ. अम्बेडकर

का मानना था कि किसी भी देश की आबादी का आधा हिस्सा नारियों का होता है और इसलिए तरक्की वह तभी कर सकता है जब उसकी नारियों को तरक्की का समान अवसर मिले । उन्होंने अपने आन्दोलन में भी नारी को प्रमुख स्थान दिया था । नारी ही समाज का उद्धार करेगी और कर्मकांड अंधविश्वास को दूर करेगी । इस पर उनकी प्रगाढ श्रद्धा थी । इस कारण वे अपने भाषणों द्वारा नारी को संबोधित करते रह, 'आप अपने बच्चों को पढाओ । अच्छा रहन–सहन अपना लो । कपडे फटे हों लेकिन साफ ढंग से बनाकर इस्तेमाल करो ।' अर्थात् नारियों ने किस तरह साफ–सुथरा रहना चाहिए इसके बारे में भी डॉ. अम्बेडकर का यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है । नारी को जीवन मे कैसे रहना चाहिए इसकी सीख अम्बेडकर देते हैं । नागपुर में 18, 19 और 20 जुलाई 1942 को अखिल भारतीय दलित परिषद का तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था । इस अधिवेशन में 20–25 हजार महिला उपस्थित थी । उस समय उन्होंने कहा, 'किसी भी समाज मे होने वाली नारी को प्रगति के आधार पर उस समाज की प्रगति को ऑक सकते हैं ।' जिस मनुस्मृति ने भारतीय नारी को गुलाम बनाया था और उनके सभी अधिकार छीन लिए थे ऐसी 'मनुस्मृति' की डॉ. अम्बेडकर ने होली जलाई क्योंकि उनका मानना था कि इस ग्रन्थ के प्रावधानों के चलते ही भारतीय समाज में नारी को उनका उचित अधिकार नहीं मिल सका है । सन् 1928 में साईमन कमीशन के समक्ष दिए गए अपने साक्ष्य में भी डॉ. अम्बेडकर ने वयस्क मताधिकार की जोरदार वकालत की और कहा कि वर्ष के उपर सभी भारतीयों को चाहे वे महिला हों या पुरूष उनको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए । 1942 में डॉ. अम्बेडकर को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय नारी के लिए 'प्रसूति अवकाश' की व्यवस्था की । जो आाज भी भारत की सभी सरकारी एवं गैरसरकारी कर्मचारी नारी को दी जाती है । यह भारत की नारियों के लिए एक बहुत बडी उपलब्धि है । आगे चलकर जब डॉ. अम्बेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 में ऐसा प्रावधान रखा कि लिंग के आधार पर नारियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा । इतना ही नहीं कानून मंत्री के रूप में डॅ. अम्बेडकर ने ' हिंदू कोड बिल' संसद में पेश किया जिसका उद्देश्य था अलग–अलग पंथों में बटे हिन्दू समुदाय की नारियों के लिए एक समान आचार संहिता तैयार करना, जिसमें भारतीय नारियों के वैवाहिक मामले में, तलाक संबंधी मामले में, उत्तराधिकार, गोद लेने और गुजारा भत्ता के मामले में तथा पारिवारिक हिस्सेदारी के मामले में समान अधिकार मिलें ऐसा उनका आग्रह था । लेकिन रूढिवादी लोगों के विरोध के कारण 'हिंदू कोड बिल' उस समय पास नहीं हो सका और डॉ. अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया । इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय नारी के उत्थान के लिए डॉ. अम्बेडकर कितने प्रयासरत थे । उन्होंने अपने मंत्री पद का थोडा सा भी विचार नहीं किया ।

लेकिन पद से इस्तीफा देने के बाद भी डॉ. अम्बेडकर चुप नहीं बैठे और सामाजिक तथा राजनैतिक मंचों से और अपनी लेखनी के माध्यम से इस बिल को पारित कराने के लिए संघर्ष करते रहे । बाद में सन् 1955–1956 में इसी 'हिंदू कोड बिल' को कई टुकडों में जैसे हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू गोद एवं गुजारा भत्ता कानून जैसे नामों से पास किया गया । इन कानूनों को पारित करवाने में भी डॉ. अम्बेडकर ने अहम भूमिका निभाई । डॉ. अम्बेडकर का सपना पूरी तरह तब साकार हुआ जब 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके पुत्री अर्थात् नारी को भी पुत्र के समान पैतृक संपत्ति मे बराबरी का अधिकार दिया । इस प्रकार भारतीय नारी के उत्थान के लिए डॉ. अम्बेडकर की यह मौलिक देन है । जिसके कारण भारतीय नारी सदा के लिए डॉ. अम्बेडकर की ऋणि रहेगी ।

जीवन का कोई औचित्य नहीं होता है । भारतीय संस्कृति में नारी के विभिन्न रूपों को मां, बहन, अर्धांगिनी,बेटी के नामों से जाना जाता है । मोहम्मद अली जिन्ना के अनुसार, ' दुनिया में कलम और तलवार दो सबसे बडी शक्तियॉ हैं पर इन दोनों शक्तियों से बडी एक और शक्ति है जिसे नारी कहते हैं ।' अगर भारत का इतिहास पलटकर देखें तो सीता, दुर्गा, पार्वती को माता का दर्जा दिया गया है लेकिन अलग–अलग समय में भारतीय नारी पर कई प्रकार का अन्याय–अत्याचार होते आ रहा है । जब मनुस्मृति का निर्मा हुआ तब महिलाओं पर होने वाला अन्याय–अत्याचार चरम सीमा पर पहुॅचा था जिसके नियमों ने भारतीय नारी को गुलाम किया था और उनकी स्वतंत्रता छीन ली थी ।

लेकिन भारत की भूमि पर डॉ. अम्बेडकर जैसे महामानव का जन्म हुआ जिन्होंने भारतीय नारी के उत्थान के लिए अपने आखिरी सांस तक प्रयास किया और भारतीय नारी को एक नई दिशा दी । डॉ. अम्बेडकरको जब भी मौका मिला तब उन्होंने भारतीय नारी का सामाजिक दर्जा सुधारने के लिए विशेष प्रयास किया । चाहे वह संविधान बनाते समय हो या 'हिंदू कोड बिल' को संसद में पेश करते समय हो, सदैव प्रयास किया । इतना ही नहीं उनहोंने अपने कई भाषण और लेखनी द्वारा भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति को उजागर किया ।

इसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत की नारी राजनीति, कला, विज्ञान, व्यापार , चिकित्सा खेल आदि हर क्षेत्र में पुरूषों के बराबर में है । किरण बेदी,साईना नेहवाल, किरण मजूमदार, सुनीताा विलियम्स जैसी महिलाएं इस तथ्य को और भी पुख्ता करती हैं । वर्तमान समय में भारत की नारी अपना फैसला करने में सक्षम है और स्वतंत्र भी , कारण उनका शिक्षित होना है । आज भारत की नारी का एक बहुत बडा तबका विभिन्न क्षेत्रों में कामकाजी है जो कि उनके बढते वर्चस्व को दिखाता है ।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

सन्दर्भ सूची

1. डॉ. सुकन पासवान, प्रज्ञाचक्षु ' केवल दलितों के मसीहा नहीं हैं अम्बेडकर', राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली 2011.
2. पूर्वदेवा सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, अप्रैल, सितम्बर 2001.
3. डॉ. रामबचन राय ' भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व 1993
4. एस.एल सागर भारत की संतप्त नारी, सागर प्रकाशन मैनपुरी उ.प्र. 1998
5. चांगदेव भवानराव खैरमोडे 'डॉ. अम्बेडकर आणि हिंदू कोड बिल' सुगावा प्रकाशन, पुणे,महाराष्ट् 2012.
6. आनंद श्रीकृष्ण लेख 'विमिन पावर की जड में डॉ. अम्बेडकर, नवभारत टाइम्स 13 जुलाई 2013.
7. सम्पादक डॉ. शरणकुमार लिबाले अनुवादक सम्पादक डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे 'प्रज्ञासूर्य डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ' वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 2013.